

बार्यार्ट

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में छुछुखान-सौड व देवीपुरा-सौड मोटर मार्ग के मध्य  
मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

पैमाना 1 इन्च = 500 कि०मी०



|                        |     |
|------------------------|-----|
| आरक्षित वन भूमि        | nil |
| सिविल एवं सोयम वन भूमि | nil |
| वन पंचायत भूमि         | —   |
| नाप भूमि               |     |

ह० /

प्रयोक्ता एज

25

अधिशाली अभियन्ता  
राज्यीय छुछुखान-सौड नि. लि.  
नैनीताल

छुछुखान-सौड अभियन्ता (नि.)  
नि. लि. व. प्रभाग, नैनीताल,

प्रभागीय बनारिबकारी  
नैनीताल व. प्रभाग  
नैनीताल:

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में घुघुछान-सौंड व देवीपुरा-सौंड मोटर मार्ग के मध्य

मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

  
महेश-कुमार  
प्रो.छा.0, लो0नि0वि0  
नैनीताल

  
सहायक अभियन्ता  
प्रो.छा.0, लो0नि0वि0  
नैनीताल

  
अधिरासी अभियन्ता  
प्रो.छा.0, लो0नि0वि0  
नैनीताल

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में छुछुछान-सौंड व देवीपुरा-सौंड मोटर मार्ग के मध्य  
भिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु मार्ग की कुल लम्बाई 0.600 किमी० तथा चौड़ाई 9.00 मी० रखी गयी है। जिसमें आरक्षित वन भूमि राज्य तथा सिविल वन भूमि राज्य वन पंचायत भूमि 0.360 है० एवं नाप भूमि 0.180 वर्ग मीटर है।

  
अनंद

  
महेश  
महेश्वर अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में घुघुखान-सौंड व देवीपुरा-सौंड मोटर मार्ग के मध्य  
मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रस्तावित परियोजना हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण संख्या 2 को लो0नि0वि0 की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप न पाए जाने के कारण निरस्त किया गया।

*mahe*  
अभिषेक अभियन्ता  
प्र0ख0, लो0नि0वि0  
नैनीताल

*de*  
सहायक अभियन्ता  
प्र0ख0, लो0नि0वि0  
नैनीताल

*प्र*  
अध्यासी अभियन्ता  
प्र0ख0, लो0नि0वि0  
नैनीताल

*प्र*  
नैनीताल विकास  
विभाग, नैनीताल

### कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में छुछुखान-सौड़ व देवीपुरा-सौड़ मोटर मार्ग के मध्य

मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

*mallo*  
#MR  
उप-निर्देशक अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

*DR*  
सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

*DR*  
अधिसूची अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

*DR*  
वन प्रशासक  
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी  
नैनीताल

*DR*  
उप प्रभागीय वनाधिकारी (ने०)  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

*DR*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
नैनीताल वन प्रभाग  
नैनीताल

(34)

GEOLOGICAL REPORT OF THE MIDDLE MISSING LINK ROAD (0.660KM) BETWEEN  
GHUGHUKHAN-SAUR AND DEVIPURA-SAUR ROADS, DISTRICT NAINITAL

INTRODUCTION :

In the Nainital District a link road between the Ghughukhan - Saur and Devipura -Saur has been sanctioned by the Govt of Uttarakhand . The link road starts from Km 13 of the Ghughukhan -Saur motor road and will connect the under construction Devipura -Saur road. The proposed total length of the link road is 0.660 km. To assess the geological conditions and status of the natural environment a joint field survey was conducted, at the request of the Executive Engineer PWD, with Mr. Mohamad Tahsin , Junior Engineer on 17May, 2011. The investigation mainly deals with the geological conditions of the area and the conditions governing instability along the alignment and suggest preventive / remedial measures.

LOCATION :

- (i) The alignment starts from 13 Km. of the Ghughukhan -Saur road and ends at 13.660 Km.
- (ii) The alignment lies at Latitude 29 27' N and 79 22' E approximately and falls in Survey of India topo sheet No 53 O/7.

GEOLOGICAL SET-UP :

The alignment lies in the Krol belt of the Lesser Himalaya. The rocks of the area comprises grey, carbonaceous, pyritous slates and quartzites belonging to the Blaini Formation. The alignment mainly consists of medium to fine grained quartzites intimately associated with bleached pyritous slates. The slates show development of cleavage parallel to bedding. In the ridge part the thickly bedded to massive quartzites form the main lithologies. The quartzites show intense vein quartz at places. The slopes at few places along the alignment show ancient landslide deposits which are unconsolidated and likely to fail if proper support is not provided. Near the first drain beyond the Km 13 the the cleavage in the slates dip 25 towards north 60 and 65 towards northeast. The cleavage and bedding

being parallel which indicates that the rocks in the area represent the limb of a major fold. The rocks are also polyphasally deformed as indicated by some kink bands and gentle folds. Some of the structural measurements are-

|         |                    |                  |
|---------|--------------------|------------------|
| 140-320 | / northeasterly    | 25° dip cleavage |
| 155-335 | / east-northeast   | 65° dip cleavage |
| 135-315 | / northeast        | 30° dip bedding  |
| 135-315 | / northeast        | 60° dip fracture |
| 155-335 | / east - northeast | 65° dip bedding  |

The generalized tectono-stratigraphic succession in the area is as follows-

Tal Formation  
Krol Formation -- Slates, limestone and dolomite  
Infra Krol Formation -- Carbonaceous slates  
Blaini Formation-- slates, siltstones, quartzites, diamictites and pink dolomitic limestone

-----Main Boundary Thrust(MBT)-----

In general the slopes are sloping towards south at the start of the alignment becoming northeasterly towards the terminus.

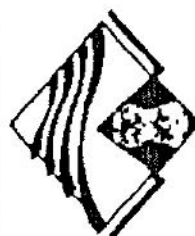
#### DESCRIPTION OF THE AREA :

The road alignment is largely located in carbonaceous grey slates with quartzites forming higher part of slates. In general the rocks are dipping away from the slopes but in the last stretch it is dipping towards the road. The few ancient landslide deposits exposed on the slopes are loosely overhanging. There is only one big nala having little seepage of water. However, the large boulders present in the channel indicate it must be having substantial discharge during rainy season.

#### STABILITY CONDITIONS :

The structural disposition of the rocks indicates that the alignment is located on favourable conditions. The rocks are stable and there is not much possibility of sliding. However, few patches with ancient landslide debris (loosely packed and unconsolidated) needs to be provided with breast walls. Such slopes may be and made gentler so that it may not fail in future. Bioengineering

# हस्तारखण्ड, लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड शासन

## वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

खण्ड का नाम

:— प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल

कार्य का नाम :—

जनपद नैनीताल में छुछुखान-सौड मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य भिस्सिंग लिंक मार्ग का निर्माण।

लम्बाई :—

0.660 मी०।

वन भूमि का विवरण

वन प्रभाग का नाम :— नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

आरक्षित वन भूमि

शून्य

सिवल वन भूमि

शून्य

वन पंचायत

0.360

कुल वन भूमि

0.360 है०

## विषय सूची

| क्र०सं० | प्रश्न                                                                                             | पृष्ठ संख्या |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | प्रतिवेदन                                                                                          | 1            |
| 2       | परियोजना की विस्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति                                                         | 2-3          |
| 3       | भारत सरकार के प्रपत्र                                                                              | 4-11         |
| 4       | संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट                                                                           | 12           |
| 5       | प्रभावित वन भूमि का तैण्ड शैड्यूल                                                                  | 13-14        |
| 6       | प्रभावित वृक्षों की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची                                                 | 15-19        |
| 7       | वांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र                                                     | 16           |
| 8       | राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र                                          | 20-21        |
| 9       | प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र                                              | 22           |
| 10      | क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना                                                         | 23-26        |
| 11      | क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र                                                    | 27           |
| 12      | परियोजना का वार चार्ट                                                                              | 28           |
| 13      | रिवत पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र                                                     | 29           |
| 14      | प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र          | —            |
| 15      | प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र | —            |
| 16      | आम सभा का प्रमाण-पत्र                                                                              | 30-30A       |
| 17      | परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण-पत्र                                                              | 31           |
| 18      | वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र                                               | 32           |
| 19      | परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र                                                   | 34-33        |
| 20      | भू-वैज्ञानिक की आख्या                                                                              | 35-34-38     |
| 21      | भू-वैज्ञानिक / जिला टारक फोर्स की संस्तुतियों का अनुमोलन किये जाने का प्रमाण-पत्र                  | 39           |
| 22      | टारक फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र                                             | 40           |
| 23      | वन्य जीव / वनस्थतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र                                      | 41           |
| 24      | अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र                 | 42           |
| 25      | धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र                                   | 43           |
| 26      | लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र                       | 44           |
| 27      | दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की क्षत्राशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र              | 45           |
| 28      | पयावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र                                          | 46           |
| 29      | वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र                                                                    | 47           |
| 30      | एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र                                                            | 48-49        |
| 31      | लागत लाभ विशलेषण प्रमाण-पत्र                                                                       | —            |
| 32      | प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र                                      | 50-50        |
| 33      | परियोजना के निर्माण से उत्पणित मलवा निस्सारण की योजना                                              | 51-52        |
| 34      | मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र                                                              | 53-54        |
| 35      | आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण-पत्र                              | 55           |
| 36      | लीज अवधि का प्रमाण-पत्र                                                                            | 56           |
| 37      | जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान                                                 |              |
| 38      | प्रस्तावित परियोजना का लेआऊट प्लान एवं मदवार विवरण                                                 |              |
| 39      | पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण-पत्र                             | 57           |
| 40      | परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें                                                                |              |

**SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF**  
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Ponnaiyandur District for diversion under FCA-1980 ) of 0.360 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of Changanur, Changanur R. Hall, Pura Shree Hindu Temple.

The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-

24-8-2013

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/FF/un-classed/Protect forest measuring 0.360 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required.-

2)

The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place: Atchankal वन प्रभाग, नैनीताल. (Signature) प्रभाकर शर्मा  
Date: 24-8-2013 Name: नैनीताल वन प्रभाग  
Designation: नैनीताल  
Office Seal

N.B. ☒ state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.  
☐ out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

## फ़ैक्ट सीट

1. परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत छुछुखान सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण।

2. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति अनुसार क्षेत्रफल

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| आरक्षित वन भूमि           | - शुन्य     |
| नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल | -           |
| सिखिल सोयम वन भूमि        | - शुन्य     |
| वन पंचायत भूमि            | - 0.360     |
| निजी भूमि                 | - 0.234 है० |

योग - 0.594 है०

3. प्रस्तावक विभाग का नाम - प्रान्तीय खण्ड , लो०नि०वि०, नैनीताल
4. वन प्रभाग का नाम - नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।
5. प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है - ☒ हाँ/नहीं
6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है - ☒ हाँ/नहीं
7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - ☒ हाँ/नहीं
8. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - ☒ हाँ/नहीं
9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दशाया गया है - ☒ हाँ/नहीं
10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची व

प्रमाण-पत्र संलग्न हैं

-

हैं/नहीं

11. वांछ प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थानीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न हैं

-

हैं/नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हे कम करने का क्या प्रयास किया गया है

-

हैं/नहीं

13. समरेखण में आने वाले वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न हैं-

हैं/नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है-

हैं/नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न हैं

-

हैं/नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है-

हैं/नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है

हैं/नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

हैं/नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है-

हैं/नहीं

(यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है)

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है

हैं/नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व से निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है-  
(यदि पूर्व से निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

22. क्या मानचित्र से प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है-

हैं/नहीं

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है— हाँ/नहीं

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है हाँ/नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं— हाँ/नहीं

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का करण (एक विस्तृत नोअ संलग्न किया जाय)

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है— हाँ/नहीं  
(500 हैं0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है हाँ/नहीं

30. मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हाँ/नहीं

अथवा

मलुवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ/नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है हाँ/नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है हाँ/नहीं

यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो सत्यापित है हाँ/नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है— हाँ/नहीं

34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है हाँ/नहीं

35. क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जात है कि प्रस्ताव उक्त बैंक सीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।

*Signature*

*name*

*Signature*

*name*

| अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिसासी अभियन्ता          |
|------|-----------------|----------------|---------------------------|
|      |                 |                | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 |
|      |                 |                | नैनीताल                   |

## प्रतिवेदन

**परियोजना का नाम:-**जनपद नैनीताल में घुघुखान सौड मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौडपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक का निर्माण।

जनपद नैनीताल में राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में घुघुखान सौड मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश सं० 170/(1)/III(2)/11-04(प्रा०आ०)/2011 दिनांक 01.03.2011 द्वारा 0.660 किमी० मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण हेतु रु० 12.60 लाख की स्वीकृति प्राप्त है जिसके अनुसार मार्ग का नवनिर्माण किया जा रहा है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम सौड बासी की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

मार्ग निर्माण में प्रा०ख०, लो०नि०वि० नैनीताल द्वारा घुघुखान सौड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 11 किमी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसे इस खण्ड द्वारा पूर्ण कर लिया गया था। 29 किमी० लम्बाई हेतु स्वीकृति सिंचाई खण्ड लो०नि०वि० को प्राप्त थी। जिसके सापेक्ष सिंचाई खण्ड द्वारा 29 किमी० लम्बाई हेतु वन भूमि स्वीकृत कराई थी। जिसमें दोनों मार्गों के मध्य 660 मी० का भाग छूट गया था। जिसे इस खण्ड द्वारा पुनः स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आगणन गठित कर शासन को प्रेषित किया गया, जिसकी स्वीकृति के उपरान्त मार्ग का सयुक्त निरीक्षण करवाया गया। जिसमें 7 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणन करवायी गई। मार्ग निर्माण में 400 मीटर लम्बाई में 0.360 है० वन पंचायत भूमि एवं 260 मी० लम्बाई (0.234 है०) में काश्तकारों की भूमि प्रभावित होगी। मार्ग के निर्माण में जिन वृक्षों का पातन होना है उनकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

  
अंशु  
अभिनेन

  
अपर सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

1932-2014

संख्या-70/11(2)/T-04(AOAO)



प्रदीप सिंह रावत,  
उप-सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

जिलाधिकारी,

देहरादून: दिनांक: 01 मार्च, 2

लोक निर्माण अनुभाग-2

जनपद नैनीताल में घुघुखान-सौंड मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौंड मोटर मार्ग के मध्य  
लिक मार्ग का निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता,

लौकिकि, अल्मोड़ा के पत्र सं०-13433/417 याता०-कु०/2010 दिनांक 23-11-2010 द्वारा  
नैनीताल में घुघुखान-सौंड मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौंड मोटर मार्ग के मध्य सिस्मिग लिक मार्ग के निम्न  
प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 1.00 किमी० है, के नवीन  
2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की  
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण  
प्रारम्भ किया जायेगा।

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा  
जायेगा तदुपरांत उक्त संदर्भित शासनादेश सं०-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक  
2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की  
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण  
प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित  
जो दरें श्रेष्ठतम आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नि  
अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय  
किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोग  
आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं तो  
विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना  
करें।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद  
मद में व्यय कदापि न किया जाय। वास्तविक व्यय आधार पर यदि कोई धनराशि स्वीकृत लागत  
बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दिया जायेगा।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोद्योगिकी एवं उद्यमिता विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। बजट मैन्युअल के निर्देशों का  
परिपालन किया जायेगा।

XXXXXX

सत्य प्रतीति

प

27/8332

27/8332

(vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047/XIV-219(2006) दि 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगपन गठित करते समय कड़ी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभि का होगा।

(ix) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनु सं0-22-लेखापीरार्क-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिचय -04 जिला तथा अन्य स -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे र जायेगा।

(x) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 803/XXVII(2)/2010 दि0: 28 फरवरी, 201 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत  
उप सचिव

संख्या- 176 (1)/11(2)/11-04(प्र0आ0)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद नैनीताल/देहरादून।
- 6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, जैन्सीताल।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गाई बुक।

सं. 883/सी 20 सं-27/4/2011

प्रति जिलाधिकारी, नैनीताल (प्रशास) को सूचना के  
(महिमा)  
अनु सचिव

प्रति जिलाधिकारी, देहरादून  
अभि  
प्रति जिलाधिकारी, नैनीताल

सत्य जालीक्षिपि

सत्य

सत्य जालीक्षिपि  
2011

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव :  
/परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण

जनपद नैनीताल में घुघुखान-सौड़  
व देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के  
मध्य लिंक मार्ग का निर्माण कार्य

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि  
और उसके आस-पास के वनों की  
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

: मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है ।

ग) परियोजना की लागत

: रु0 **12.66** लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने  
का औचित्य

: मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु ।

ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये  
जाने के लिए)

: संलग्न है ।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की  
संभावना है

: मोटर मार्ग के निर्माण से लगभग 50 लोगों  
को रोजगार प्राप्त होगा ।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार  
विवरण

: वन पंचायत सौड़ .....0.360 है0  
सिविल भूमि .....-  
आरक्षित वन भूमि .....-  
योग ..... **0.360 है0**

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का  
विवरण, यदि कोई है

: नहीं ।

क) परिवारों की संख्या

**2**

ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के  
परिवारों की संख्या

**2**

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

**2**

-2-

3. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?  
(हां/ नहीं)

: : हाँ

4. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसूचक और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

: संलग्न है।

5. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का व्यौरा

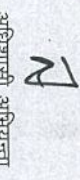
: संलग्न है।

दिनांक :- 13.8.2012

  
अनील

  
कमिन्ड अमियन्ता  
प्रो०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
सहायक अभियन्ता  
प्रो०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

  
अधिरासी अभियन्ता  
प्रो०ख०, लो०नि०वि०  
नैनीताल

भाग-1।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)  
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....61.

6. परियोजना/स्कीम का स्थान :- घुघुखान-सौड़ व देवीपुरा-सौड़ मोटर मार्ग के मध्य  
मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण।

- |       |                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| i)    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                           | उत्तराखण्ड नैनीताल        |
| ii)   | जिला                                                                                                                                                                                                              | नैनीताल                   |
| iii)  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                         | नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल |
| iv)   | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)                                                                                                                                                | 60360 ई०                  |
| v)    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                               | वन देसायल                 |
| vi)   | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                                  | खसरो की 1224 सेलाउ ई०     |
| vii)  | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफओआर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए                                             | 82 वंशमयि आख्या सेलाउ ई०  |
| viii) | भूस्वर्ण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।                                                                                                                                                   |                           |
| ix)   | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी                                                                                                                                                | मदी                       |
| x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी करीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)                      | मदी                       |
| xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।                                                                                       | मदी                       |
| xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | मदी                       |

- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा:-  
i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।  
ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।  
iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।  
iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।  
v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संगतन करें)

संलग्न

महो

1.0 के वन वन्य जीवों के लिए  
होने में बाधा/क्षति/हानि  
प्रकार/प्रकार/प्रकार

— ५ —

— ५ —

— ५ —

— ५ —

संलग्न

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 679400 ई०
- ii. जिला का वन क्षेत्र। 402640 ई०
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से 223 ग्राम 421/16982 ई० निर्यात/रिपोर्ट/र  
वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 315 21/1/मावकी ई०
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल  
प्रतिकूल वनीकरण  
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित  
वन भूमि  
(ख) वनेतर भूमि पर 1.66 ई० तक प्रतिपूरक वनीकरण  
में हुयी प्रगति  
(क) वन भूमि पर  
(ख) वनेतर भूमि पर

67571 ई०  
579.842 ई०

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अन्यथा लेने

दिनांक 26-8-2013

स्थान Alwar  
उप प्रजातीय वन अधिकारी (नि०)  
नेनीताल वन प्रभाग, नेनीताल।

हस्ताक्षर प्रजातीय वन अधिकारी  
नाम देवीलाल बन मथार  
सरकारी मोहर देवीलाल

वन प्रशासनिक  
कार्य के लिए

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है

क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं है

दि 23-10-2013

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

संरक्षक की जाति है,

हस्ताक्षर: वन संरक्षक,

दक्षिणी शुभ कर्क नदी, उत्तराखण्ड

देवीदास,

सरकारी मोहर

तिथि 13-11-2013

स्थान - देवीदास

भाग-IV

(नोजल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,  
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17-

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने  
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की  
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।  
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक  
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल  
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय  
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

### भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17- राज्य सरकार की सिफारिश:  
(उपर्युक्त भाग-11 या भाग-111 या  
भाग-1V में किसी अधिकारी या प्राधिकारी  
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर  
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

सिद्धि :  
स्थान :

हस्ताक्षर:  
नाम और पदनाम  
सरकारी मोहर

1

## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में घु-घुखान सौड व देशीपूरा सौड के मध्य  
मिसिंगि लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 5.8.2011 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय ~~राजस्व~~ विभाग की ओर से श्री ~~विनोद कुमार~~ <sup>अभिषेक देवी</sup> वन क्षेत्राधिकारी, श्री ~~देवी~~ <sup>देवी</sup>, वन दरोगा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री डी0एस0 बोरा सहायक अभियन्ता, श्री तहसीन अहमद अपर सहायक अभि0 द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि रून्थ है0, सिविल एवं सोयम वन भूमि रून्थ है0, वन पंचायत भूमि 0.360 हे0 एवं नाप भूमि ~~0.234~~ <sup>0.234</sup> हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।  
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है).....

  
ABE

ABE

ABE

आवश्यक बाध्यता  
गन्तीय खण्ड, लो० ति० वि०  
नैनीताल.

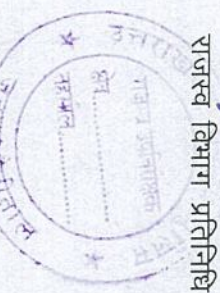
ह0/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी)  
प्रतिनिधि

  
ABE

ह0/-

वन विभाग



  
प्रतिनिधि  
नैनीताल.

प्रति हस्ताक्षरित  
प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

परगना भूजिस्ट्रेट,  
नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी  
नैनीताल वन प्रभाग  
नैनीताल.

तैन्ड शेड्यूल  
(वन विभाग)

7. परियोजना का नाम :-

घुघुखान-सौड व देदीपुरा-सौड मोटर मार्ग के मध्य  
मिसिंग लिक मार्ग का निर्माण।

| जिला    | प्रभाग का नाम        | वन ब्लाक | लम्बाई | चौड़ाई | क्षेत्रफल (हे०) |
|---------|----------------------|----------|--------|--------|-----------------|
| नैनीताल | नैनीताल वन<br>प्रभाग |          | -      | -      | -               |

आरक्षित वनप्रति आगने नहीं देली है।

*Signature*  
20/15

*make*  
AHE

सहायक अभियंता  
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल

ह०  
/-  
प्रभागीय वनाधिकारी

अधिकासी अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल.

*Signature*  
नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी  
नैनीताल वन प्रभाग  
नैनीताल

परियोजना का नाम :-

धुधुखान-सौड व देवीपुरा-सौड मोटर मार्ग के मध्य  
मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण।

### लैन्ड शेड्यूल

#### सिविल वन भूमि

| जिला    | तहसील   | ब्लाक   | खसरा सं० | कुल रकबा | याचित क्षेत्रफल<br>(हे०) |
|---------|---------|---------|----------|----------|--------------------------|
| नैनीताल | नैनीताल | कोटाबाग |          |          | शून्य                    |

#### वन पंचायत भूमि

| जिला    | तहसील   | ब्लाक   | खसरा सं० | कुल रकबा | याचित क्षेत्रफल<br>(हे०) |
|---------|---------|---------|----------|----------|--------------------------|
| नैनीताल | नैनीताल | कोटाबाग | ०.५००मी. | ०.५००मी. | ०.३६०हे०                 |

ह०/-  
जिलाधिकारी

#### नाप भूमि

| जिला    | तहसील   | ब्लाक   | खसरा सं० | कुल रकबा | याचित क्षेत्रफल<br>(हे०) |
|---------|---------|---------|----------|----------|--------------------------|
| नैनीताल | नैनीताल | कोटाबाग | -        |          | ०.२३५६०                  |

ह०/-  
जिलाधिकारी

*Amved*  
mhb

*male*  
AAE

सहायक अभियंता  
राज्यीय खण्ड, ला० नि० वि०  
नैनीताल

अभिजाती अभियन्ता  
लैन्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल.

वरसालदार  
नैनीताल.



जिलाधिकारी  
नैनीताल

परगना भजिस्ट्रेट,  
नैनीताल

कार्यालय उप वन संरक्षक, .....

संख्या- / -

दिनांक: , 200.

### वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

जनपद नैनीताल में छुछुखान-सौड़ व देहीपुरा-सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण हेतु 0.360 हे० वन पंचायत भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

| क्र०<br>स० | व्‍याक               | प्रजाति   | व्‍यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |       |       | योग |
|------------|----------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|            |                      |           | 0-10        | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 |     |
| 1          | सौड़<br>नाप भूमि     | काफल हरा  | -           | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1   |
|            |                      | बॉज हरा   | 1           | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 2   |
|            |                      | योग       | 1           | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | 3   |
| 2          | वन<br>पंचायत<br>सौड़ | झीड़ हरा  | 12          | 1     | 7     | 3     | 1     | 2     | -     | -     | -     | 26  |
|            |                      | बुराश हरा | -           | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1   |
|            |                      | दुधिलहास  | 1           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1   |
|            |                      | अयार हरा  | -           | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | 2   |
|            |                      | बॉज हरा   | -           | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1   |
|            |                      | योग       | 13          | 2     | 7     | 6     | 1     | 2     | -     | -     | -     | 31  |
|            |                      | महायोग    | 14          | 2     | 7     | 8     | 1     | 2     | -     | -     | -     | 34  |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

*(Signature)*  
msh

AAE

सहायक अधिशासी  
राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल

अधिसासी अभियन्ता  
राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल.

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी  
नैनीताल वन प्रभाग  
नैनीताल.

मार्ग का नाम :- जनपद नैनीताल में घुघुखान-सौड़ व देवीपुरा-सौड़ मोटर मार्ग के मध्य  
मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

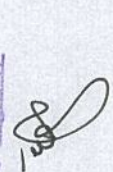
बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र  
जनपद नैनीताल में 0.360 है० वन पंचायत भूमि के हस्तान्तरण हेतु सौद द्वारा दिनांक 22.05.2013 को निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

| क्र०<br>सं० | वृक्ष का<br>प्रजाति  | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |       | योग   |
|-------------|----------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |                      | 0-10       | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 |
| 1           | वन<br>पंचायत<br>सौड़ | -          | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |
| 2           | नाप भूमि<br>सौड़     | 1          | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     |
| 3           | योग                  | 1          | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 3     |
|             |                      |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|             |                      |            |       |       |       |       |       |       |       |       |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

  
Anil

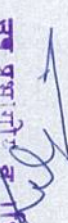
  
Mahesh  
AHE

  
सहायक अभियंता  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल

  
दक्षिण कुमायूँ क्षेत्र,  
नैनीताल

  
अधिसारी अभियंता  
बालीखण्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल

  
अधिसारी अभियंता  
बालीखण्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल

  
उप प्रमाणिक अधिकारी (क्ष०)  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

  
प्रमाणिक अधिकारी  
नैनीताल वन प्रभाग  
नैनीताल

(प्रशासन) में प्रशासनिक दृष्टि से आनलाई प्रशासन की आवश्यकता प्रतीत होती है।  
 प्रतीत करने के लिए (निष्कर्ष)

[illegible][illegible]

सब प्रभागों के अधिकारी (नेनीताल वन प्रभाग, नेनीताल)

~~सर्वोच्च न्यायालय~~

|    |       |       |          |
|----|-------|-------|----------|
| 34 | 32.55 | 10.67 | 23890.42 |
|----|-------|-------|----------|

[illegible]

## राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में घुघुखान-सौड़ व देहीपुरा-सौड़ मोटर मार्ग के मध्य  
मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग किसी भी राष्ट्रीय पार्क/वन्य  
जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है ।

  
अनील

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रोजेक्ट, लोनिठि  
नैनीताल

  
सहायक अभियन्ता  
प्रोजेक्ट, लोनिठि  
नैनीताल

  
अधिसूची अभियन्ता  
प्रोजेक्ट, लोनिठि  
नैनीताल

प्रमाणीय वनाधिकारी

  
नैनीताल

  
उप प्रमाणीय वनाधिकारी (नै.)  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

  
प्रमाणीय वनाधिकारी  
नैनीताल वन प्रभाग  
नैनीताल

**राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र**

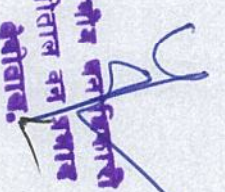
परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में घुघुखान-सौड़ व देवीपुरा-सौड़ मोटर मार्ग के मध्य  
मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग की राष्ट्रीय पार्क/वन्य  
जीव अभ्यारण्य से दूरी लगभग 70.00 कि०मी० है।

|                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>अमीन | <br>म. अ. सिंघ | <br>न. अ. सिंघ |
| कनिष्ठ अभियन्ता<br>प्र०ख० लो० नि० वि०<br>नैनीताल                                            | सहायक अभियन्ता<br>प्र०ख० लो० नि० वि०<br>नैनीताल                                                   | अधिसूची अभियन्ता<br>प्र०ख० लो० नि० वि०<br>नैनीताल                                                  |

  
नैनीताल जिला

उप लघु नैनीताल व नैनीताल (ने०)  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

  
नैनीताल वन प्रभाग  
नैनीताल